



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल अंतर्गत तहसील उदयपुर में स्थित केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक का पूर्वक्षण कार्य हेतु 1745.833 हे. (संशोधित क्षेत्र 1762.839 हे.) में कोयला के भण्डार का पता लगाने हेतु 153 नग बोर होल पूर्वक्षण स्वीकृति के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देश तथा प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 21/06/2017

स्थान: रायपुर

(आर. के टम्टा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़, रायपुर